135

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–2 **देहरादून, दिनांक : 29 मार्च, 2016**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के आयोजनगत मद की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–212/डीटीईयू/0203/ब0रि0/2015–16 दिनांक 06.01.2016, तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के क्रम में एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु ब्यौरेवार अनुमान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रशिक्षण प्रखण्ड के अन्तर्गत अनुदान संख्या–16 में अवचनबद्ध मदों की संलग्न विवरणानुसार **"आयोजनागत पक्ष" में ₹30लाख (रूपये तीस लाख मात्र)** की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहां व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो वहां ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा।

2– व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान संख्या–16 के मुख्य लेखाशीर्षक 2203–श्रम तथा रोजगार की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। यह आवंटन निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन तथा प्रशिक्षण प्रखण्ड के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन हेतु किया जा रहा है।

4– यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय–व्ययक 2015–16 में बजट प्रावधान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय–व्ययक प्रावधान की सीमा तक ही व्यय की जाएगी।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2016 तक करते हुये प्रत्येक माह की व्यय की गयी धनराशि का विवरण बी.एम.–8 पर प्रत्येक दशा में शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

6– निदेशालय द्वारा आहरण–वितरण अधिकारियों को बजट का आवंटन उनके अधीन वर्तमान में संचालित प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को प्रत्येक मद में संस्थावार आवश्यकतानुसार फांट करते हुये किया जायेगा और जिसकी प्रति प्रत्येक दशा में शासन को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

क्रमशः........

135A

2. "आयोजनागत पक्ष" में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में आय–व्ययक के 'अनुदान संख्या 16' के "आयोजनेत्तर पक्ष" के क्रमशः **'लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान**के नामे डाला जायेगा।

3. "आयोजनागत पक्ष" हेतु यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या :**146(P.)/XXVII(5)/2016 दिनांक : 20 फरवरी, 2016** में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

4. यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.inसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/ अलॉटमेंट आई.डी. S1603160525.**(P.)** के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

5. यह आदेश वित्त विभाग की उक्त सहमति के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 196 (1)/XLI-1/16 – 63(प्रशि0)/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हल्द्वानी–नैनीताल ।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हल्द्वानी–नैनीताल।
6. मुख्य वित्त अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी–नैनीताल।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
अनुसचिव।